तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1765/2024/जयपुर सीताराम व अन्य बनाम जगदीश नारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
04.04.24	**एकल–पीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री गिरीश पारिक, अभिभाषक प्रार्थी। **–आदेश–** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 07–02–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बस्सी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादग्रस्त भूमि ग्राम ग्वालिनी पटवार हल्का माधोगढ़ तहसील तूंगा जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1723, 1724 व 1725 कुल किता 3 रकबा 1.400 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1726, 1727, 1728, 1735, 1736, 1737 व 1738 के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–02–2022 को एकतरफा तौर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरान्त उभय पक्षों के न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रार्थीगण की अपील को स्वीकार किया परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नहीं होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त नहीं किये जाने व्यथित होकर उक्त निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–02–2022 को एकतरफा तौर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त कार्यवाही के उपरान्त प्रार्थी के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का आज दिनांक तक अंतिम रूप से निस्तारण	

	नहीं किया गया है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3 (क) में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का एक माह में निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जबकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा इस संबंध में विधि द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से असिमित समय तक पाबन्द किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को अपीलीय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत् रखते हुए प्रार्थीगण की अपील को स्वीकार तो किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त नहीं किया गया। जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3–क की अवहेलना की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को स्वमेव ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए था। परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि में उपलब्ध प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त नहीं करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। अतः प्रार्थी की निगरानी ग्राहयता के स्तर पर स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 07–02–2024 अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बस्सी के आदेश दिनांक 14–02–2022 को भी निरस्त किया जावे। प्रकरण की प्रकृति व आक्षेपित आदेश का दृष्टिगत् रखते हुए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब हुए बिना ही उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण ग्राहयता के स्तर पर किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश व उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बस्सी के आदेश दिनांक 14–02–2022 जिसके माध्यम से वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए आराजी जैर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण के उपस्थित आने के बावजूद भी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3–क की पालना नहीं की गई है, अतः आदेश निरस्त किया	

जावे। उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के उक्त तथ्य को तो स्वीकार किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3–क की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त नहीं किया गया है। प्रकरण में जब अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से इस तथ्य को स्वीकार किया जा चुका था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3–क की पालना अप्रार्थीगण के उपस्थित आने के बावजूद भी सुनिश्चित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जिसके माध्यम से वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये थे, को निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था, ताकि अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय का स्पष्ट संदेश प्राप्त हो सके कि उनके द्वारा विधि में उपलब्ध प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। प्रकरण में चूंकि न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उनके द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण उभय पक्षों के उपस्थित आने के बावजूद भी आगामी दो वर्षो तक नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कायम रखे जाने का भी कोई युक्तियुक्त व तर्कसंगत आधार उत्पन्न नहीं होता है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को बिना किसी ठोस आधार के असिमित समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण की उक्त निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणामतः हस्तगत् निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर का आक्षेपित आदेश दिनांक 07–02–2024 व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बस्सी का आदेश दिनांक 14–02–2022 निरस्त किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3–क के प्रावधानों के अनुसरण में उभय पक्षों को सुनकर एक माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करें। प्रार्थीगण को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22–04–2024 को उपस्थित आते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करें। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर अधिवक्ता को दी जाकर पत्रावली बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य